

Order Sheet [Contd]

Case No BA/15/2016...

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
22.12.2016	<p>आवेदक सोनकलाल ओर से अधिवक्ता श्री राधामोहन शर्मा। राज्य द्वारा श्री दीवानसिंह गुर्जर ए0जी0पी0। पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड से अप.क्र. 369/16 धारा 354 भा0दं0वि0 की केश डायरी मय कैफियत पेश।</p> <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राधामोहन शर्मा द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि फरियादिया के द्वारा पारिवारिक रंजिश एवं कृषि भूमि संबंधी विवाद होने के कारण पुलिस थाना गोहद पुलिस से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। फरियादिया नगर रक्षा समिति की सदस्या भी है। आवेदक वर्तमान में बैंकिंग एग्जाम की तैयार कर रहा है और उसे दिनांक 24.12.2016 को रिजर्व बैंक की परीक्षा में सम्मिलित होना है। पुलिस उक्त झूठा अपराध में जिसकी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब से सोच समझकर रंजिशवश कराई गई है में आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है। यदि आवेदक को गिरफ्तार किया गया तो उसका भविष्य वर्वाद हो जावेगा। आवेदक गोहद का स्थाई निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। आवेदक अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित अग्रिम जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए जमानत निरस्त करने का निवेदन किया।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया। फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक 13.12.16 को शाम के 6 बजे जब वह नाली साफ कर रही थी तो आरोपी आया और बुरी नियत से उसकी छाती पकड़ ली</p>	

और वह चिल्लाई तो मौके पर उसके लडके आ गए तो आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में धारा 354 भा.द.वि अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया कि पक्षकारों के मध्य दीवानी विवाद एवं मामलेवाजी चल रही है जिसमें कि वर्तमान में न्यायालय के समक्ष प्रकरण चल रहे हैं। आवेदक का भविष्य खराब करने के आशय से रिपोर्ट की गई है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि फरियादिया ने उसके पति के आने पर दर्ज कराई जानी बताई है, उसमें स्पष्ट रूप से आवेदक के द्वारा उसकी लज्जाशीलता भंग करने के आशय से उसकी छाती पकड़ लेने के संबंध में उल्लेख आया है। अभियोजन के द्वारा संकलित की गई साक्ष्य जिसमें कि पीडिता का धारा 164 दं.प्रं.स. का कथन भी है उसमें भी घटना घटित होने के संबंध में आया है। यद्यपि पक्षकारों के मध्य जमीन संबंधी विवाद चलने के संबंध में दस्तावेज पेश किये गए हैं, किन्तु इस स्टेज पर उक्त कारण से झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं लिया जा सकता है।

विचारोपरांत आवेदक पर लगाए गए आक्षेप की प्रकृति एवं सम्पूर्ण तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक अग्रिम जमानत की पात्रता नहीं रखता है। उसकी ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को विधिबत बापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

डी.सी.थपलियाल
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)